भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 113

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2022

बुधवार, 13 माघ, 1943

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अल्प नियोजन

113. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान स्किल इंडिया मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवंटित निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश भर में हुए नियोजन की कुल प्रतिशतता और सरकार के तथा राज्य-स्तर पर नियोजन संबंधी लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम में नियोजन की अल्प दर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह मूल्यांकन किया है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्ति की संख्या अधिक हुई है, जबकि नियोजन की दर न्यून है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) सरकार, कुशल भारत अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न कौशल विकास स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान कुशल भारत अभियान के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा आबंटित निधि 14,211.84 करोड़ रुपए है। 11 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के संबंध में उपलब्ध विवरणों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 12850 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आबंटित की गई है। देश भर के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एमएसडीई विभिन्न स्कीमों यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)। को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय में निधि का आबंटन स्कीम-वार किया जाता है न कि राज्य/जिले-वार। पिछले पांच वर्षों के दौरान एमएसडीई के तहत कुशल भारत अभियान को वर्षवार आबंटित निधि के विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है। वे 11 प्रमुख मंत्रालय/विभाग हैं - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ग्रामीण विकास (आरडी), आवास और शहरी मामले (एच एंड यूए), सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एस जे एंड ई), कपड़ा, युवा मामले और खेल, पर्यटन, उद्योग और आंतरिक व्यवसाय संवर्धन, खदान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (विभाग) तथा सार्वजनिक उद्यम (विभाग)।

(ख) **पीएमकेवीवाई:** पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुल मिलाकर राज्य स्तर पर देश भर में हासिल नियोजन प्रतिशत **अनुबंध-II** (1-3) में संलग्न है। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) पर तृतीय पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिफल निकला है कि पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की औसत मासिक आय, तुलनात्मक समूह की तुलना में 15% अधिक थी। इसके अतिरिक्त, 76% उम्मीदवारों ने इस बात को स्वीकारा कि प्रशिक्षण के पश्चात, उनके पास रोजगार पाने की बेहतर संभावना है।

जेएसएस: जेएसएस के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य उम्मीदवारों को लाभकारी आजीविका के लिए जोड़ना और स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के माध्यम से उनके परिवार की आय को पूरक करना है। लाभार्थियों को रोजगार/नियुक्ति प्रदान करना जेएसएस स्कीम के लिए अधिदेशी नहीं है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का संबंध है, स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, "अंततः यह पाया गया है कि जेएसएस की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में, स्वयं और मजदूरी रोजगार तथा निजी रोजगार उत्पन्न हुए हैं"। स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होगी कि उसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 77.05 प्रतिशत लाभार्थी शिक्षुओं ने व्यावसायिक शिफ्टों में प्रशिक्षण लिया है।

सीटीएस: आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (जनवरी 2018 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई पास-आउट का 63.5% (मजदूरी + स्व-रोजगार, जिसमें से 6.7% नियोजित) को रोजगार मिला और 36.4% बेरोजगार रहे और नौकरी की तलाश में थे।

एनएपीएस: एनएपीएस में नियोजन की निगरानी नहीं की जाती है

(ग) नीति आयोग ने पीएमकेवीवाई 2.0 का त्वरित आकलन अध्ययन किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने उद्योग की आवश्यकता और उम्मीदवार की अपेक्षा के मध्य तालमेल न होने पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 2.0 के प्रभाव मूल्यांकन के लिए पीएमकेवीवाई की एक कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने एक तृतीय पक्ष एजेंसी, संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया। इस रिपोर्ट ने एसटीटी के अंतर्गत औसत मासिक वेतन में लगभग 15% और आरपीएल के अंतर्गत 19% की वृद्धि को ऊजागर किया। आरपीएल के अंतर्गत, 70% प्रतिभागियों ने सूचित किया कि उन्होंने रोजगार के बेहतर अवसर पाए हैं। इस रिपोर्ट में स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) की सुदृढ़ भूमिका का भी सुझाव दिया गया है। उपर्युक्त अध्ययनों और पीएमकेवीवाई 2.0 के कार्यान्वयन अनुभवों के आधार पर, मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई का मांग-संचालित और बॉटम-अप दृष्टिकोण से आशोधित संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 3.0 का 15.01.2021 को शुभारंभ किया है।

(घ) और (ङ) पीएमकेवीवाई के तहत, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) एक कौशल प्रमाणन घटक है, जो भारतीय युवाओं को उनके मौजूदा कौशल का उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ताकि उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिल सके। आरपीएल के अंतर्गत पूर्व शिक्षण अथवा कौशल वाले व्यक्ति खुद के आकलन और प्रमाणन के लिए पंजीकृत करते होते हैं। चूंकि आरपीएल में श्रमिकों में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणन की प्रक्रिया शामिल है, इसलिए यह (आरपीएल) नियोजन से संबद्ध नहीं है; श्रमिकों को पहले से ही नियोजित माना जाता है।

अनुबंध-I

"कुशल भारत मिशन के अंतर्गत न्यूनतम नियोजन" के पैरा (क) के उत्तर संदर्भ में 02.02.2022 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के संबंध में।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवंटित एमएसडीई का स्कीम-वार बजट

	स्कीम	**वित्तीय आबंटन (करोड़ रुपए में)**					
	केंद्रीय प्रायोजित स्कीम; प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**योग**
		बजट अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	
1.	कौशल का विकास	1357.00	1590.00	2154.34	2400.00	1590.50	9091.84
2.	उद्यमशीलता का विकास	50.00	87.86	87.86	37.25	39.01	301.98
3.	शिक्षुता संवर्धन	279.17	1151.40	746.39	61.25	73.02	2311.23
4.	संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	50.00	50.00	240.00	125.15	86.00	551.15
5.	कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	33.00	17.50	50.5
6.	नियामक संस्थानों को सहायता (एनसीवीई एंड टी)	34.66	45.00	44.75	20.00	20.00	164.41
7.	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500
8.	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400
	स्कीमों का योग	1770.83	2924.26	3273.34	2676.65	2726.03	13371.11
	प्रतिष्ठान	33.45	91.88	126.66	312.56	276.18	840.73
	सकल योग	1804.28	3016.14	3400.00	2989.21	3002.21	14211.84

पीएमकेवीवाई:

पीएमकेवीवाई 2.0 एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार 31.12.021 तक का अद्यतन				
प्रशिक्षण का प्रकार	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**	**नियोजन रिपोर्ट**	**नियोजन % (नियोजित /प्रमाणित रिपोर्ट)**
	सीएससीएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	38,11,178	31,84,945	18,05,076	56.7%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	2,13,341	1,51,869	82,931	54.6%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	61,41,611	50,94,569	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल सीएससीएम	1,01,66,130	84,31,383	18,88,007	56.6%
	सीएसएसएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	8,25,284	6,39,417	2,10,979	33.0%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	6,787	4,712	2,523	53.5%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल सीएसएसएम	8,32,071	6,44,129	2,13,502	33.1%
सकल योग	1,09,98,201	90,75,512	21,01,509	52.8%

* आरपीएल उम्मीदवारों को उन्मुख करता है इसलिए नियोजन का प्रावधान नहीं है।

पीएमकेवीवाई 3.0 एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार 31.12.021 तक का अद्यतन				
प्रशिक्षण का प्रकार	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**	**नियोजन रिपोर्ट**	**नियोजन % (नियोजित /प्रमाणित रिपोर्ट)**
	सीएससीएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	79,648	49,587	12,464	25.1%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	93,807	62	29	46.8%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	1,56,628	65,882	लागू नहीं	0.0%
कुल सीएससीएम	3,30,083	1,15,531	12,493	25.2%
	सीएसएसएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	48,198	25,539	2,957	11.6%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	5,783	145	-	0.0%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	61,261	31,667	लागू नहीं	0.0%
कुल सीएसएसएम	1,15,242	57,351	2,957	11.5%
सकल योग	4,45,325	1,72,882	15,450	20.5%

* आरपीएल उम्मीदवारों को उन्मुख करता है इसलिए नियोजन का प्रावधान नहीं है।

अनुबंध -II(2)

पीएमकेवीवाई 2.0 + पीएमकेवीवाई 3.0				
प्रशिक्षण का प्रकार	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**	**नियोजन रिपोर्ट**	**नियोजन % (नियोजित /प्रमाणित रिपोर्ट)**
	सीएससीएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	38,90,826	32,34,532	18,17,540	56.2%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	3,07,148	1,51,931	82,960	54.6%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	62,98,239	51,60,451	लागू नहीं	0.0%
कुल सीएससीएम	**1,04,96,213**	**85,46,914**	**19,00,500**	**56.1%**
	सीएसएसएम			
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	8,73,482	6,64,956	2,13,936	32.2%
विशेष परियोजना (एसपीएल)	12,570	4,857	2,523	51.9%
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	61,261	31,667	लागू नहीं	0.0%
कुल सीएसएसएम	9,47,313	7,01,480	2,16,459	32.3%
सकल योग	**1,14,43,526**	**92,48,394**	**21,16,959**	**52.2%**

* आरपीएल उम्मीदवारों को उन्मुख करता है इसलिए नियोजन का प्रावधान नहीं है।

अनुबंध-II (3)

राज्य-वार नियोजन का प्रतिशत:

	पीएमकेवीवाई 2.0 + पीएमकेवीवाई 3.0			
राज्य	**कुल प्रशिक्षित/उन्मुख**	**कुल प्रमाणित**	**कुल नियजन रिपोर्ट**	**नियोजन % (नियोजित /प्रमाणित रिपोर्ट)**
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2,948	1,870	124	6.8%
आंध्र प्रदेश	3,11,002	2,58,704	91,819	63.1%
अरुणाचल प्रदेश	81,869	60,717	11,061	40.7%
असम	6,75,400	4,92,258	55,763	46.4%
बिहार	5,25,470	4,16,203	1,08,025	50.3%
चंडीगढ़	21,386	17,410	5,823	52.8%
छत्तीसगढ	1,37,451	96,736	25,596	39.7%
दिल्ली	3,92,748	3,21,836	71,314	48.3%
गोवा	9,322	7,037	890	38.5%
गुजरात	3,59,366	2,86,713	64,551	54.4%
हरियाणा	5,52,874	4,61,663	1,50,257	57.9%
हिमाचल प्रदेश	1,21,807	98,877	24,309	41.9%
जम्मू और कश्मीर	2,79,308	2,29,780	51,422	48.8%
झारखंड	2,36,169	1,83,889	24,816	41.2%
कर्नाटक	4,29,022	3,44,824	59,547	47.0%
केरल	2,30,452	1,78,626	23,258	38.9%
लद्दाख	2,857	1,745	944	56.5%
लक्षद्वीप	270	79	-	0.0%
मध्य प्रदेश	7,13,317	5,63,805	1,92,026	56.8%
महाराष्ट्र	10,82,098	8,62,058	68,517	36.7%
मणिपुर	84,930	68,392	14,663	40.9%
मेघालय	43,004	34,448	11,264	50.0%
मिजोरम	29,537	21,101	8,898	51.3%
नगालैंड	35,763	27,995	5,720	33.5%
उड़ीसा	4,77,855	3,80,646	59,866	51.2%
पुदुचेरी	22,187	19,072	9,491	69.6%
पंजाब	3,41,511	2,84,340	1,16,336	56.4%
राजस्थान	9,49,640	8,35,825	1,68,676	54.5%
सिक्किम	12,406	9,914	3,582	43.4%
तमिलनाडु	5,75,373	4,76,038	1,25,532	63.0%
तेलंगाना	3,03,706	2,53,195	91,060	62.6%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9,615	8,224	2,583	59.8%
त्रिपुरा	1,21,294	89,041	11,666	36.9%
उत्तर प्रदेश	16,44,869	13,51,671	3,07,025	51.1%
उत्तराखंड	1,84,948	1,44,623	50,819	53.6%
पश्चिम बंगाल	4,41,752	3,59,039	99,716	54.4%
योग	1,14,43,526	92,48,394	21,16,959	52.2%

****